

आपूर्ति का अर्थ और परिधि

जीएसटी में वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति करयोग्य प्रक्रिया है। विभिन्न करयोग्य माना प्रक्रियाओं जैसे निर्माण, बिक्री, सेवा का प्रतिपादन, खरीद, राज्य के किसी क्षेत्र में प्रवेश आदि को समाप्त करते हुए केवल एक प्रक्रिया को माना गया है जो आपूर्ति है। संविधान माल और सेवा कर को मानव के उपभोग के लिए मादक पदार्थ की आपूर्ति पर करों को छोड़कर, वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर किसी कर के रूप में परिभाषित करता है।

अंतर-राज्य आपूर्ति पर जीएसटी लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के पास समकालिक शक्तियां होंगी। हालांकि, अंतरराज्यिक आपूर्ति पर वस्तु एवं सेवा कर उद्ग्रहण के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति केवल संसद के पास होगी।

“आपूर्ति” शब्द को अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत आपूर्ति के अर्थ और परिधि को निम्नलिखित छह मापदंडों के संदर्भ में समझा जा सकता है, जिसे एक लेन-देन की आपूर्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है:

1. वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति। वस्तु या सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी आपूर्ति जीएसटी को आकर्षित नहीं करती
2. प्रतिफल के लिए आपूर्ति की जानी चाहिए
3. व्यवसाय के अनुक्रम या प्रगति के लिए आपूर्ति की जानी चाहिए
4. कर योग्य व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की जानी चाहिए
5. आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए
6. कर योग्य क्षेत्र के भीतर आपूर्ति की जानी चाहिए

जबकि ये छह मापदंड आपूर्ति की अवधारणा को परिभाषित करते हैं, व्यवसाय के अनुक्रम या प्रगति और प्रतिफल आपूर्ति की आवश्यकता के कुछ अपवाद हैं। कोई भी लेन-देन जिसमें बिना प्रतिफल के वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, कोई आपूर्ति नहीं है, परन्तु कुछ अपवादों में बिना किसी प्रतिफल के लेन-देन को भी आपूर्ति माना जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी क्षतिपूर्ति के लिए सेवाओं के आयात को, चाहे वह व्यवसाय के अनुक्रम या प्रगति के लिए हो, आपूर्ति माना जाता है।

वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति

वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं को जीएसटी कानून में परिभाषित किया गया है। प्रतिभूतियों को सेवाओं के साथ-साथ वस्तुओं की परिभाषा से बाहर रखा गया है। नकदी को भी सेवाओं के साथ-साथ वस्तुओं की परिभाषा से बाहर रखा गया है, जबकि नकदी के प्रयोग से संबंधित गतिविधियों या नकद या किसी अन्य माध्यम से मुद्रा या मूल्य के एक रूप से मुद्रा या मूल्य के दूसरे रूप में रूपांतरण, जिसके लिए अलग से प्रतिफल प्रभाषित किया जाता है, को सेवाओं में शामिल किया गया है।



जीएसटी आपूर्ति का अर्थ और परिधि




जीएसटी

माल और सेवा कर

आपूर्ति का अर्थ और परिधि



हमारा अनुसरण करें



करदाता सेवा महानिदेशालय
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

www.cbec.gov.in

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची II उन कुछ गतिविधियों की सूचीबद्ध करती है जिन्हें वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, वस्तुओं में किसी भी विलेख का अंतरण वस्तुओं की आपूर्ति का अंतरण होगा, जबकि शीर्षक वस्तुओं में बिना विलेख के अंतरण किसी भी अधिकार का अंतरण सेवाओं के रूप में माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III ऐसी गतिविधियों का उल्लेख करती है जिसमें न तो वस्तुओं की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में या जीएसटी के दायरे के बाहर माना जाएगा। इनमें शामिल है:

- एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को उसके रोजगार के दौरान या उसके संबंध में सेवाएं।
- मृतक को लाने ले जाने सहित अंतिम संस्कार, दफन करना, शमशान या मुर्दाघर की सेवाएं।
- भूमि की बिक्री और भवन की बिक्री जहां समापन प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् या इसके प्रथम कब्जे के पश्चात् संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया गया हो।

क्रियाशील दावे को वस्तुओं की परिभाषा में शामिल किए गया हैं, हालांकि, अनुसूची III प्रावधान करता है कि लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के अतिरिक्त कार्रवाई योग्य दावे न तो वस्तुएं होंगी और न ही सेवाएं होंगी।

प्रतिफल हेतु आपूर्ति

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 में प्रतिफल को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। यह नकदी या वस्तु के रूप में हो सकती है। केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी भी अनुवृत्ति (सब्सिडी) को प्रतिफल के रूप में नहीं मान जाएगा। यह अव्यवहारिक है चाहे भुगतान प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

सेवाओं अथवा वस्तुओं अथवा दोनों की आपूर्ति के संबंध में दी गई जमाराशि को ऐसी आपूर्ति के लिए किए गए भुगतान के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि आपूर्तिकर्ता उक्त आपूर्ति हेतु प्रतिफल के रूप में ऐसी जमाराशि को नहीं लगाता है।

इसके अतिरिक्त जब सेवाओं या वस्तुओं का विनिमय हो, तब यह गतिविधि आपूर्ति के साथ-साथ प्रतिफल का निर्माण करती हैं । जब एक नाई एक चित्रकारी (पेंटिंग) के विनिमय में बाल काटता है तब

बाल काटना नाई द्वारा सेवाओं की आपूर्ति है। यह प्राप्त पेंटिंग हेतु एक प्रतिफल है।

तथापि जीएसटी व्यवस्था के अनुसार आपूर्ति कहे जाने हेतु आपूर्ति की पूर्व-शर्त के रूप में ‘प्रतिफल’ की आवश्यकता में अपवाद में हैं। जीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा भले ही इन्हें प्रतिफल के बिना किया गया हो:

- कारोबार आस्ति का स्थायी अंतरण या निपटान जहां ऐसी आस्तियों पर इनपुट कर ऋण प्राप्त किया गया हो।
- धारा 25 में विनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों के बीच या नियत व्यक्तियों के बीच वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति जब कारोबार के दौरान या वृद्धि में किया गया हो: बशर्ते कि कर्मचारी को नियोक्त द्वारा दिए गए उपहार, जिनका मूल्य एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार से अधिक न हो, उन्हें वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों के रूप में नहीं माना जाएगा।
- वस्तुओं की आपूर्ति - क) प्रिंसिपल द्वारा अपने एजेंट को जहां एजेंट, प्रिंसिपल की ओर से ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करता है; या ख) एजेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल को जहां एजेंट प्रिंसिपल की ओर से ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करता है।
- एक करयोग्य व्यक्ति द्वारा सम्बंधित व्यक्ति से अथवा भारत से बाहर स्थित अपनी किसी स्थापना से कारोबार के दौरान अथवा वृद्धि में सेवाओं का आयात।

कारोबार के दौरान या वृद्धि में आपूर्ति

जीएसटी अनिवार्यतः एक कर है जो केवल वाणिज्यिक संव्यवहारों पर लगता है। अतः केवल वे आपूर्तियां जो कारोबार के दौरान या वृद्धि में होती हैं, जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति के रूप में योग्य होती हैं। अतः किसी व्यक्ति द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में की गई आपूर्तियां जीएसटी की परिधि में नहीं आती जब तक कि वे अधिनियम में परिभाषा के अनुसार कारोबार की परिभाषा के अंतर्गत न आती हो। व्यवसाय के रूप में वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री भी जीएसटी के अंतर्गत एक आपूर्ति है। अतः भले ही एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ परोपकार (चैरिटी) के लिए पेंटिंग पेंट करता है और चाहे एक बार की घटना के रूप में, उसकी बिक्री करता है, तब भी बिक्री को आपूर्ति माना जाएगा।

अतः इस “कारोबार के दौरान या वृद्धि” नियम हेतु एक अपवाद प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात है।

करयोग्य व्यक्ति द्वारा आपूर्ति

जीएसटी आकर्षित करने के लिए आपूर्ति करयोग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। अतः दो गैर-करयोग्य व्यक्तियों के मध्य आपूर्ति को जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति नहीं माना जाएगा। एक “करयोग्य व्यक्ति” वह व्यक्ति है जो धारा 22 या धारा 24 के अंतर्गत पंजीकृत है या पंजीकृत होने योग्य है। अतः एक अपंजीकृत व्यक्ति जो कि पंजीकृत होने के योग्य है, करयोग्य व्यक्ति है। इसी प्रकार, वह व्यक्ति जो पंजीकृत होने के योग्य नहीं है परंतु उसने स्वैच्छिक पंजीकरण प्राप्त किया है तथा स्वयं को पंजीकृत करा लिया है वह भी करयोग्य व्यक्ति है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में जीएसटी राज्य केंद्रित है। अतः विभिन्न राज्यों से आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक राज्य में पृथक पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति एक राज्य के भीतर एक से अधिक पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति के पास विविध कारोबार वर्टिकल हैं। एक व्यक्ति, जिसने एक से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हैं या उसे एक से अधिक प्राप्त करना अपेक्षित है चाहे एक राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में, अथवा एक से अधिक राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र में, प्रत्येक पंजीकरण के संबंध में, जीएसटी के उद्देश्यों के लिए विशिष्ट व्यक्ति के रूप में समझा जाएगा।

करयोग्य आपूर्ति

जीएसटी को आकर्षित करने के लिए आपूर्ति हेतु आपूर्ति करयोग्य होनी चाहिए। करयोग्य आपूर्ति को विस्तार से परिभाषित किया गया है तथा इसका तात्पर्य वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की किसी भी आपूर्ति से है जो कि अधिनियम के अंतर्गत कर उगाही योग्य है। विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं या आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं की विनिर्दिष्ट श्रेणियों को छूट प्रदान की जा सकती हैं।

करयोग्य प्रदेशों में आपूर्ति

जीएसटी आकर्षित करने के लिए आपूर्ति हेतु **स्थान जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर** भारत में होना चाहिए। किसी भी वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति के स्थान का निर्धारण एकीकृत जीएसटी अधिनियम की धारा 10,11,12 तथा 13 के आधार पर किया गया है।

अंतरराज्यिक/अंतःराज्यीय आपूर्ति

आपूर्तिकर्ता की स्थिति तथा आपूर्ति का स्थान निर्धारित करता है कि आपूर्ति को अंतरराज्यिक आपूर्ति के रूप समझा जाए या अंतःराज्यीय

आपूर्ति के रूप में । आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण यह सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य है कि क्या एकीकृत कर का भुगतान किया जाना है अथवा केंद्रीय सह राज्य कर का भुगतान किया जाना है। वस्तुओं की अंतरराज्यिक आपूर्ति का तात्पर्य है कि वस्तुओं की आपूर्ति जहां आपूर्तिकर्ता की स्थिति तथा आपूर्ति का स्थान विभिन्न राज्यों में या संघ राज्य-क्षेत्रों में हो। वस्तु की अंतःराज्यीय आपूर्ति का तात्पर्य है वस्तु की आपूर्ति, जहां आपूर्तिकर्ता की स्थिति तथा आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र हो। निर्यात, एसईजेडएस से तथा एसईजेडएस की आपूर्तियों को अंतर्राज्यीय आपूर्तियों के रूप में माना जाता है।

संयुक्त/मिश्रित आपूर्ति

संयुक्त आपूर्ति का तात्पर्य है करयोग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को की गई आपूर्ति जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं या उनका कोई संयोजन शामिल होता है, जो कि स्वभाविक रूप से बंडल की भांति होती है तथा कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में एक दूसरे के संयोजक के रूप में आपूर्ति की गई हों। उदाहरण के लिए मुंबई से दिल्ली की हवाई यात्रा के टिकट में ऑन बोर्ड दी जाने वाली भोजन की सेवा, निःशुल्क बीमा तथा एयरपोर्ट लॉज का प्रयोग शामिल हो सकता है। इस स्थिति में यात्री का परिवहन, संयुक्त आपूर्ति के प्रमुख तत्व होते हैं तथा इसे मुख्य आपूर्ति के रूप में माना जाता है तथा अन्य सभी आपूर्तियां सहायक होती हैं।

जीएसटी कानून निम्नलिखित तरीकों से संयुक्त या मिश्रित आपूर्तियों पर कर देयताओं को निर्धारित करता है:

- दो या अधिक आपूर्तियों वाली संयुक्त आपूर्तियों, जिसमें से एक मुख्य आपूर्ति है, को ऐसी मुख्य आपूर्ति की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा।
- दो या अधिक आपूर्तियां वाली मिश्रित आपूर्ति को उस विशिष्ट आपूर्ति के रूप में समझा जाएगा जो कि कर की उच्चतम दर को आकर्षित करता है।